

2018/00040

1/10/18

ब्याचलर (राजस्व) सुबहलखर, जिला बीकानेर

सरकार राज्य श्री राजू लाल 30-पूनी/सा/रा

जिला मुख्यालय - राजस्व विभाग - बीकानेर

एक आर एक एकड़ की धार है।

32/18

नुक्रमा नम्बर

2/18

पत्तल

राजीव

आदेश दिनांक	कार्यवाही विवरण	आदेश की प्रत
-------------	-----------------	--------------

22/1/18

परवारी हलका

9-1/1

की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। सुतारिक शीट अपाधी ने

ग्राम/चक

2/18-70/1/1/1

के

खसरा नं./मु.नं.

174

तादादी

4-03

बीघा

राजू लाल

राजकीय भूमि पर समत

2-03/1

में

नाजायज कब्जा कर अक्षत कर ली। अपाधी को धारा 22/1 के तहत नोटिस

जारी किया जावे। पत्र में अभिलेख निरीक्षण को फराल नुई वार हेतु लिखा

जामेन पत्रावली आईन्दा दिनांक

8/2/18

को पेश हो।

र

8/2/18

बनावली पेश हुई। खसरे में राजस्व

अनुपस्थिति में निदेशा 23/18 प्रकृत व। प्रकृत

प्रकृत के लिए राजस्व लकीत किया।

Rajulal

राजीव के पत्र
नं 110 के क्रम 32
पर मोग कापड की
गजी

TRP

12/4/18

न्यायालय, तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर

प्रकरण संख्या: 32 / 2018

दिनांक: 8/2/18.

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
गुगल ने रिपोर्ट (पी-14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि सम्वत 2074 में गैर
सायल सायल पुत्र पुत्र सायल जाति सायल
साकिन साकिन ने ग्राम सायल के खसरा नं० 124
रकबा 4.03 बीघा जोहड़ पायतन, गोचर, चारागाह राजकिय
भूमि में काश्त/बाड़ा/कच्चा/पक्का मकान निर्माण कर नाजायज अतिक्रमण
किया है।

सम्बन्धित गैर सायल का रा.भू.रा.अधि. 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण
दजं कर नोटिस जारी किया गया जो बाद तामिल शामिल मिसल किया गया।
संबन्धित गैरसायल अनुपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण में इकतरफा कार्यवाही
करते हुए सम्बन्धित गैर सायल सायल पुत्र श्री सायल
जाति सायल साकिन सायल ग्राम सायल
खसरा नं० 124 रकबा 4.03 बीघा के अतिचार करने पर राज.
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधान के तहत अतिक्रमी घोषित
किया जाता है तथा भू-राजस्व 2.10 रु. का 50 गुणा रूपये 105/-
शास्ति से दण्डित किया जाता है। तथा मौके से बेदखल करने के आदेश दिये जाते
हैं। बेदखली बाबत संबन्धित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा जुर्माना वसूली
बाबत हल्का पटवारी को तथा मांग कायमी बाबत टी.आर.ए. शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/2/2018 को खुली अदालत में लिखाया
जाकर सुनाया गया।

तहसीलदार(राजस्व)

लूनकरनसर

